

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर:-89/2022 (2022/306)
अन्तर्गत धारा :-53, 188 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 25.07.2022

शीर्षक

1-प्रकाशचन्द्र पिता भागुराम सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-अर्जुन पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-दल्लु पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-नेनुड़ी पत्नि मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-मदन पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-मूला पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सम्पतलाल पिता रामा नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-लैण्ड होल्डर जरिए राजस्थान राज्य तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी :- जाकिर हुसैन रंगरेज
प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 :- एकपक्षीय
प्रतिवादी सं0 7 :- परोकार सरकार

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक 13.02.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 159 में अंकित आराजी संख्या 94 रकबा 0.66 है0 भूमि में वादी का 4/165 हिस्से का मौके पर कब्जे के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/कोर्ट/प्र.स./89/22 दिनांक 13.03.2024 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया ।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप




सहायक कलक्टर
(एस.जी.ओ.) रायपुर

उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	प्रकाशचन्द्र पुत्र भागूराम सालवी सा.देह खातेदार	ग्राम पीथलपुरा (खाता संख्या 159)	94 / 1	0.0160
		योग	1	0.0160
2	अर्जुन पुत्र मांगू नट 55/322, कुन्दनलाल पुत्र दिलीपकुमार ढोली 55/322 सा. करेड़ा, दलु पुत्र मांगू नट 55/322, नेनूड़ी पत्नि मांगू नट 55/322, मदन पुत्र मांगू नट 55/322, मूला पुत्र मांगू नट 47/322 सा.देह खातेदार	ग्राम पीथलपुरा (खाता संख्या 159)	94 / 2	0.6440
		योग	1	0.6440

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जयपुर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर पदेन)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जयपुर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर:-89/2022 (2022/306)
अन्तर्गत धारा :-53, 188 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 25.07.2022

शीर्षक

1-प्रकाशचन्द्र पिता भागुराम सालवी निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-अर्जुन पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-दल्लु पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-नेनुड़ी पत्नि मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-मदन पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-मूला पिता मांगु नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सम्पतलाल पिता रामा नट निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-लैण्ड होल्डर जरिए राजस्थान राज्य तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी :- जाकिर हुसैन रंगरेज
प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 :- एकपक्षीय
प्रतिवादी सं0 7 :- परोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 13.02.2025

डिक्री दिनांक : 13.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व परोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	प्रकाशचन्द्र पुत्र भागुराम सालवी सा.देह खातेदार	ग्राम पीथलपुरा (खाता संख्या 159)	94/1	0.0160
		योग	1	0.0160
2	अर्जुन पुत्र मांगू नट 55/322, कुन्दनलाल पुत्र दिलीपकुमार ढोली 55/322 सा. करेड़ा, दलु पुत्र मांगू नट 55/322, नेनुड़ी पत्नि मांगू नट 55/322, मदन पुत्र मांगू नट 55/322, मूला पुत्र मांगू नट 47/322 सा.देह खातेदार	ग्राम पीथलपुरा (खाता संख्या 159)	94/2	0.6440
		योग	1	0.6440





सहायक कलक्टर
(रा.टी.ओ.) रायपुर

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2025 को जारी किया गया।


 (विश्वजीत सिंह)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपसहायक कलक्टर
 (एच.बी.ओ.) रायपुर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपसहायक कलक्टर
 (एच.बी.ओ.) रायपुर